फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री रोशनलाल**

विपक्षी :– **श्री मांगीलाल**

किस्म मुकदमा :– आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी

पत्रावली संख्या :– 541/16

जीसीएमएस नम्बर :– 2016/00330

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 16.12.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। साक्ष्यप्रार्थी का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी साक्ष्यप्रार्थी प्रस्तुत नही करने से बंद की जाती है। उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी पर बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 106/16 उनवान रोशनलाल बनाम मांगीलाल में आदेशिका दिनांक 12.08.16 को इस आशय का आदेश पारित किया गया था कि विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा ओरडी ए पटवार हल्का डबोक तहसील मावली के आराजी नम्बर 591, 592 किता 2 कुल रकबा 15 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 आगामी पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश होने के पश्चात भी निर्माण कार्य किया गया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के दस्तावेजात का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण संख्या 106/16 उनवान रोशनलाल बनाम मांगीलाल में आदेशिका दिनांक 12.08.16 की प्रति पेश की है और कोई दस्तावेज पेश नही किया है। ना ही प्रार्थी द्वारा कोई गवाह प्रस्तुत किया। यदि विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौके पर निर्माण कार्य किया गया है तो प्रार्थी को आदेश दिनांक 12.08.2016 से पूर्व एवं बाद के तुलनात्मक मौके के फोटोग्राफ्स पेश करने चाहिए थे। साथ ही उक्त आदेश विपक्षी संख्या 1 को सुने बिना एकतरफा पारित किया गया था। ऐसे में प्रार्थी को यह भी साबित कराना था की उक्त आदेश जानकारी विपक्षी संख्या 1 को हो चुकी थी। अर्थात [illegible] स्थगन आदेश की अवहेलना के संबंध में केवल मात्र मौखिक कथन किया गया है परन्तु दस्तावेजी साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pulladia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

एवं गवाह पेश नही किए गए। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी के मौखिक कथन के आधार पर यह नही माना जा सकता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा सूचना के बाद न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना की हो। इस प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना किया जाना प्रतीत नही होता है। ऐसे में प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने में असफल रहा। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested